

सेपक,

निमल किशोर गुप्ता,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेना में,

महानिदेशक,
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

चिकित्सा अनुभाग-11

दिनांक: 21 मई, 2004

विषय: केशलता चिकित्सालय, डेलापीर, स्टैडियम रोड, बरेली को सामान्य उपचारिता का प्रशिक्षण प्रारम्भ करने हेतु अनिवार्यता प्रमाण-पत्र निर्गत करने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक प्रबन्ध निदेशक, केशलता चिकित्सालय, डेलापीर, स्टैडियम रोड, बरेली के प्राथमिक-पत्र दिनांक/5 मई, 2004 एवं उसके संबंध में प्राप्त सचिव, उ0प्र0 स्टेट मेडिकल कॉलेजी की संस्तुति के पत्र संख्या- 1490/04, दिनांक 10 मई, 2004 पर सामान्य विचारोपरता धारण द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि केशलता चिकित्सालय, बरेली को 40 घण्टा प्रशिक्षण प्रमाण-पत्र को सामान्य चिकित्सा प्रशिक्षण प्रमाण-पत्र को अंगीकार करने की अनुमति इस शर्त के साथ दी जाती है कि उक्त संस्था इण्डियन नर्सिंग कौंसिल के दिशा-निर्देशों के अनुसार एक वर्ष के भीतर स्वीकृति प्राप्त कर ली जायेगी अन्यथा उक्त अनिवार्यता प्रमाण-पत्र स्वतः समाप्त समझा जाय।


भवदीय,



(निमल किशोर गुप्ता)
विशेष सचिव।

संख्या- 1306(1)/5-11-04-एन0(21)/ 2004

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. सचिव, भारतीय उपचर्या परिषद, टैम्बिल रोड, नई दिल्ली।
2. सचिव, उत्तर प्रदेश, स्टेट मेडिकल कॉलेजी, 5-सर्वपल्ली मार्ग, माल-एले-यू, लखनऊ।
3. निदेशक (प्रशिक्षण), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, उ0प्र0, लखनऊ।
4. प्रबन्ध निदेशक, केशलता चिकित्सालय, डेलापीर, स्टैडियम रोड, बरेली को उनके पत्र दिनांक 9 मई, 2004 के संदर्भ में सूचनाएं एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।


 PRINCIPAL
 KESHALATA SCHOOL OF NURSING,
 KESHALATA HOSPITAL
 DELAPERA, BAREILLY

आज्ञा से

 (बाबू राम)
 अनु सचिव।


(2)

7. नर्सिंग प्रशिक्षण केंद्र में कार्यरत प्रशिक्षित नर्सिंग ट्यूटर्स के नामों की सूची (सालाना प्रोग्राम पर) शैक्षिक योग्यता, अनुभव की अवधि तथा प्रत्येक द्वारा पढ़ाये जाने वाले विषयों का उल्लेख सहित प्रशिक्षण के लिए छात्राओं का चयन करने से पूर्व इस कार्यालय में भेजना सुनिश्चित करें।
8. उपचारिक प्रशिक्षण प्रवेश में प्रवेश की सूची प्रकृति करने के पूर्व चयनित छात्राओं के शैक्षिक योग्यता संबंधी प्रमाण-पत्रों की प्रतियाँ भेजकर चयन सूची का अनुमोदन फॉकल्टी से प्राप्त करने के पश्चात् ही प्रशिक्षण में प्रवेश लिया जायेगा। चयन सूची में छात्र का नाम, पिता का नाम, जन्म तिथि एवं पता स्पष्ट रूप से अधिकृत होना चाहिये।
9. प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय जनरल नर्सिंग की परीक्षा निर्धारित प्रशिक्षण अवधि पूर्ण होने के पश्चात् ही कराई जायेगी।
10. प्रशिक्षण हेतु प्रवेश शुल्क ₹0 1000/- प्रवेश के समय केवल एक बार, प्रशिक्षण शुल्क के रूप में ₹01800/- प्रतिमाह, प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय वर्ष में एवं कांशनागनी ₹.3000/- प्रवेश के समय केवल एक बार ही लिया जा सकता है।
11. इण्डियन नर्सिंग काउंसिल के पत्र संख्या 02/JUL1/2000-INC दिनांक 14.07.2009 के अनुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करें।

प्रशिक्षण में प्रवेश के पूर्व प्रतिवर्ष संबद्धता शुल्क ₹.15,000/- इस कार्यालय में जमा करना होगा। चयन प्रक्रिया के संबंध में वांछित किसी भी जानकारी हेतु प्रधानाचार्य स्कूल आफ नर्सिंग इस कार्यालय में आवश्यकतानुसार सम्पर्क कर सकते/सकती हैं।

भवदीय,

राधिका,

उपरोक्त स्टेट मेडिकल फॉकल्टी

PRINCIPAL
KESHLATA SCHOOL OF NURSING
KESHLATA HOSPITAL
DEHRA DUN
UTTAR PRADESH

उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल कॉलेजी

5, रामभल्जा, माल रोड, लखनऊ-226001 टेलीफोन : 2238846



55/8/09

दिनांक 04/08/09

सेवा में,

प्रधानाचार्य,

केशलता स्कूल आफ नर्सिंग,

केशलता हॉस्पिटल, डेलापीर, स्टेडियम रोड,
बरेली।

विषय:

केशलता स्कूल आफ नर्सिंग, केशलता हॉस्पिटल, डेलापीर, स्टेडियम रोड, बरेली के सामान्य उपचारिका प्रशिक्षण केन्द्र की भर्ती क्षमता 40 से बढ़ाकर 60 करने की मान्यता/सम्बद्धता के संबंध में।

महोदय,

मुझे सूचित करना है कि भारतीय उपचारिका परिषद, नई दिल्ली के पत्र संख्या 02/JULI/2000-JNC दिनांक 14.07.2009 के आधार पर आपके चिकित्सालय में भर्ती क्षमता 40 से बढ़ाकर 60 प्रशिक्षुओं को केशलता नर्सिंग एवं मिडवीफरी प्रशिक्षण में प्रतिवर्ष प्रवेश हेतु निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्रशिक्षण प्रारम्भ करने के लिए मान्यता/संबद्धता प्रदान की जाती है।

1. प्रवेश क्षमता 60 अभ्यर्थी प्रतिवर्ष रखी जायेगी एवं नर्सिंग प्रशिक्षण प्रारम्भ की तिथि प्रतिवर्ष 1 सितम्बर होगी। जोसा कि भारतीय उपचारिका परिषद के नियमों में निर्धारित है। प्रवेश हेतु न्यूनतम शैक्षिक योग्यता इण्टरमीडिएट उत्तीर्ण होनी चाहिए एवं आयु प्रवेश वर्ष में 1 सितम्बर को 17 से 35 वर्ष होनी चाहिए।
2. आपके प्रशिक्षण केन्द्र को उ0प्र0 स्टेट मेडिकल कॉलेजी, राज्य सरकार एवं भारतीय उपचारिका परिषद, नई दिल्ली द्वारा प्रशिक्षण में प्रवेश के समय में समय-समय पर जारी किये गये समस्त आदेशों/निर्देशों का पालन करना अनिवार्य है।
3. समय-समय पर आपके प्रशिक्षण केन्द्र का निरीक्षण कराया जायेगा और आपके प्रशिक्षण केन्द्र द्वारा किये गये निरीक्षण/शर्तों का उल्लंघन किये जाने की स्थिति में आपके नर्सिंग प्रशिक्षण केन्द्र की मान्यता/संबद्धता समाप्त करने पर विचार किया जा सकता है।
4. किसी भी दशा में निर्धारित भर्ती क्षमता से अधिक अभ्यर्थी भर्ती नहीं किये जायेंगे।
5. वयस हेतु समाचार पत्रों में विज्ञापन जारी करने के पूर्व विज्ञापन के प्रारूप को इस कार्यालय का अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात् ही समाचार पत्रों में विज्ञापन प्रकाशित किया जाना सुनिश्चित करें तथा समाचार पत्र में प्रकाशित होने के पश्चात् समाचार पत्र की प्रति शीघ्र कार्यालय में उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
6. निम्नलिखित प्रशिक्षण में प्रवेश उ0प्र0 के नियमों का ही होगा। उ0प्र0 के आदेशों के अभ्यर्थियों का नर्सिंग प्रशिक्षण में प्रवेश किसी भी दशा में नहीं किया जायेगा।

कृ० प्र० 30

PRINCIPAL
KESHLATA SCHOOL OF NURSING
KESHLATA HOSPITAL
DELAPIER BAREILLY

प्रेषक,

राम कुमार प्रसाद,
संयुक्त सचिव,
उ०प्र० शासन।

सेवा में,

सचिव,
स्टेट मेडिकल फैकल्टी,
लखनऊ।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-3

विषय:- हेल्थ वर्कर (महिला) प्रशिक्षण कोर्स

लखनऊ दिनांक

26 जून, 2009.

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-4699/09, दिनांक 22-6-2009 एवं पत्र संख्या-4700/09, दिनांक 22-6-2009 के संदर्भ में गुडो यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त संदर्भित पत्र में उल्लिखित तथ्यों/प्रस्तावों पर सम्यक विचारोपरान्त केशलता स्कूल आफ नर्सिंग, डेलापीर, स्टेडियम रोड, बरेली एवं रुहेलखण्ड स्कूल आफ नर्सिंग, पीलीभीत बाईपास रोड, बरेली को हेल्थ वर्कर (महिला) प्रशिक्षण कोर्स प्रारम्भ करने हेतु 60 छात्र प्रतिवर्ष प्रवेश क्षमता का प्रशिक्षण केन्द्र खोलने हेतु निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन अनिवार्यता प्रमाण पत्र/अनापत्ति प्रदान की जाती है:-

- (1) संस्था द्वारा एक वर्ष के अन्दर प्रशिक्षण हेतु सभी गानक/औपचारिकताएं पूर्ण कर इण्डियन नर्सिंग काउंसिल, नई दिल्ली से निरीक्षण कराकर अनुमति/मान्यता प्राप्त कर प्रशिक्षण केन्द्र के संचालन की कार्यवाही की जाय।
 - (2) संस्था द्वारा राज्य सरकार/उ०प्र० स्टेट मेडिकल फैकल्टी तथा इण्डियन नर्सिंग काउंसिल, नई दिल्ली द्वारा नर्सिंग प्रशिक्षण के संबंध में समय-समय पर जारी किये गये समस्त निर्देशों एवं चयन प्रक्रिया का पालन करना अनिवार्य है।
 - (3) संस्था का उ०प्र० स्टेट मेडिकल फैकल्टी द्वारा प्रत्येक तीसरे वर्ष निरीक्षण कराया जायेगा। यदि संस्था द्वारा उ०प्र० स्टेट मेडिकल फैकल्टी/राज्य सरकार के किसी भी दिशा-निर्देश का उल्लंघन किया जाता है तो संस्थान की अनापत्ति/मान्यता समाप्त कर दी जायेगी।
- 2- कृपया उक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(राम कुमार प्रसाद)
संयुक्त सचिव

संख्या-2299-D (1)/71-3-09-तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. सचिव, नर्सिंग काउंसिल ऑफ इंडिया नई दिल्ली।
2. महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ०प्र०, लखनऊ।
3. प्रबन्धक, केशलता स्कूल आफ नर्सिंग, डेलापीर, स्टेडियम रोड, बरेली।
4. प्रबन्धक, रुहेलखण्ड स्कूल आफ नर्सिंग, पीलीभीत बाईपास रोड, बरेली।
5. समीक्षा अधिकारी/गार्ड फाइल।

ATTESTED PHOTO COPY

Amit Kumar

(Amit Kumar Agarwal)
Advocate & Notary
BAREILLY (U. P. India)

आज्ञा से,

(राम कुमार प्रसाद)
संयुक्त सचिव

N.O.C

(15)

उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी

5. सर्गपल्ली, माल एवेन्यू रोड, लखनऊ-226001 फ़ोन : 2238846



पत्रांक 5726/09

दिनांक 11/08/2009

सेवा में,

प्रबन्धक,

सामस्त प्रशिक्षण केन्द्र, (निजी क्षेत्र)

हेल्थ वर्कर (महिला)

महोदय,

निजी क्षेत्र के सामस्त हेल्थ वर्कर (महिला) प्रशिक्षण केन्द्रों को जिन्हें उ0प्र0 शासन द्वारा इस प्रशिक्षण हेतु अनिवार्यता प्रमाण-पत्र प्राप्त हो चुका है, को सूचित किया जाता है कि उ0प्र0 स्टेट मेडिकल फैकल्टी की शासी समिति की बैठक दिनांक 28.07.2009 में लिये गये निर्णय के अनुपालन में इण्डियन नर्सिंग कौंसिल की धारा 10(2) के अनुसार आप अपने प्रशिक्षण केन्द्र में प्रशिक्षण प्रारम्भ कर सकते हैं किन्तु अन्तिम परीक्षा से पूर्व इण्डियन नर्सिंग कौंसिल, नई दिल्ली से मान्यता लेना अनिवार्य है। इस प्रशिक्षण में प्रवेश हेतु शासनादेश संख्या 2717/5-10-2007-जी-240/06 दिनांक 31.12.2007 के द्वारा निर्धारित शैक्षिक अर्हता इण्टरमीडिएट उत्तीर्ण है।

भवदीय,

सचिव,

उ0प्र0 स्टेट मेडिकल फैकल्टी

PRINCIPAL
KESHLATA SCHOOL OF NURSING
KESHLATA HOSPITAL
DELAPEER, BARILLY



INDIAN NURSING COUNCIL
COMBINED COUNCILS BUILDING
KOTLA ROAD, TEMPLE LANE
NEW DELHI - 110 002

Certificate No. 18-31/6705-INC

Date:- 28 SEP 2011


Resolution No. 161/02/JUL/2010

In pursuance of the provisions of sub-section (2) of section 13 of the Indian Nursing Council Act 1947. Indian Nursing Council declares that the course conducted by the Institution mentioned below, is an approved course of study for admission to an approved examination for the said course. The number of students to be admitted is as specified below-

Name of Institution	Name of Course	Number of seats
KESHLATA SCHOOL OF NURSING, KESHLATA HOSPITAL, DELAPEER STADIUM ROAD, DISTT- BAREILLY, UTTAR PRADESH- 243122	ANM	40 (forty)

This is valid for 2010-2011 academic year and till next inspection

Sandhya Gupta
Dr. Sandhya Gupta)
SECRETARY
Indian Nursing Council
New Delhi-110002



T. Dilcep Kumar
(T. Dilcep Kumar)
PRESIDENT
Indian Nursing Council
New Delhi-110002

S. Chandra
PRINCIPAL
KESHLATA SCHOOL OF NURSING
KESHLATA HOSPITAL
DELAPEER, BAREILLY